न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

(1)अपील संख्या 114/2015

भादरराम पुत्र रामलाल जाति जाट निवासी मालेर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर । अपीलार्थी–

बनाम

1. मोटाराम पुत्र चूनाराम जाति जाट निवासी मालेर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ ।
3. उप–पंजीयक सूरतगढ। ––रेस्पोडेंट्स

(2) अपील संख्या 115/2015

भादरराम पुत्र रामलाल जाति जाट निवासी मालेर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर । –– अपीलार्थी

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ। ––रेस्पोंडेंट

(3) अपील संख्या 57/2016

मोटाराम पुत्र चुनाराम जाति जाट निवासी मालेर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर। –– अपीलार्थी

बनाम

1. भादरराम पुत्र रामलाल जाति जाट निवासी मालेर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ। ––रेस्पोंडेंट्स

अपील सं. 114/2015 व 115/2015 अन्तर्गत धारा 75 राज. भू रा.अधि.1956

विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ दिनांक 14.08.2008

एवं अपील सं. 57/2016 अन्तर्गत धारा 225 रा.का.अ. 1955

विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ दिनांक 15.02.2016

7/11/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

उपस्थितिः—

श्री भागीरथ बिश्नोई अभिभाषक भादरराम

श्री शिशपाल शर्मा अभिभाषक मोटाराम

श्री श्यामसुन्दर चाण्डक, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय **दिनांक :— 07.11.2017**

अपीलांट द्वारा अपील सं. 114/2015 उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ के आदेश दिनांक 14.08.2008 के विरूद्ध पेश की है। उक्त आदेश के द्वारा रेस्पों. सं. 1 को रोही मालेर के ख.नं. 85/7 की 30 बीघा भूमि आवंटित की है। अपीलांट द्वारा इस अपील में इस आशय का अनुतोष चाहा है कि ख.नं. 85/7 की 25 बीघा भूमि अपीलांट के नाम से पुख्ता आवंटन की जावे। इसी प्रकार अपील सं. 115/2015 उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ के आदेश दिनांक 14.08.2008 के विरूद्ध पेश की है। उक्त आदेश के द्वारा अपीलांट को रोही मालेर के ख. नं. 85/8 की 3.10 बीघा व 85/13 की 21.10 बीघा कुल 25 बीघा भूमि आवंटित की गई है। अपीलांट द्वारा उक्त भूमि को परिवर्तित कर ख.नं. 85/7 की 25 बीघा भूमि पुख्ता आवंटन किये जाने का निवेदन किया।

अपील सं. 57/2016 उपखण्ड अधिकारी के आदेश दिनांक 15.02.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। उक्त आदेश के द्वारा प्रार्थी/रेस्पों. द्वारा प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. स्वीकार कर रोही मालेर के ख.नं. 85/7 की 6.325है0 भूमि के रिकार्ड व मौके की यथास्थिति रखने के आदेश दिये।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपील सं. 114/2015 व 115/2015 में अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि जो भूमि अपीलांट के कब्जा काश्त में है उसी का उसे आवंटन किया जावे। अपील सं. 114/2015 व 115/2015 के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने पर नकल प्राप्त कर बिना किसी देरी के अपील पेश कर दी जिसके लिये मियाद अधिनियम

7/11/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

की धारा 5 का प्रा.पत्र एवं शपथ पत्र पेश कर अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार कर दोनों ही अपीलें स्वीकार करने का निवेदन किया। अपीलांट सं. 57/2016 के अपीलांट ने अपील स्वीकार कर अधी. न्यायालय के आदेश को निरस्त करने का निवेदन किया।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपील सं. 114/2015 व 115/2015 आदेश दिनांक 14.08.08 के विरूद्ध दिनांक 24.06.2015 को पेश की गई है। जिसके लिये मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रा.पत्र मय शपथ पत्र पेश कर जो तथ्य अंकित किये हैं उनका खण्डन रेस्पों. द्वारा प्रत्युत्तर मय शपथ पत्र पेश कर नहीं किया है। ऐसी स्थिति में अपीलें पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपीलें अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

अपील सं. 114/2015 अनवान भादरराम बनाम मोटाराम निर्णय दिनांक 14.08.2008 एवं अपील सं. 115/2015 अनवान भादरराम बनाम सरकार निर्णय दिनांक 14.08.2015 अधी. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ के निर्णय के विरूद्ध पेश की हैं। मौके एवं रिकार्ड के विभेद को दूर करने के लिये पेश की हैं जो एक दूसरे के पूरक होने से इक्जाई की जाकर एक ही निर्णय किया जाना उचित होने की वजह से एक ही निर्णय किया जाता है। इसी प्रकार अपील सं. 57/2016 में उपरोक्त अपीलों में अधी.न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 में उपरोक्त विवादग्रस्त आराजी होने एवं पक्षकार एक ही होने से इसका निर्णय भी इनके साथ किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली में शामिल की जावे।

अधी. न्यायालय की पत्रावली सं. 99/08 निर्णय दिनांक 14.08.08 जिसकी अपील सं. 115/2015 है जिसका सार बिन्दु है कि अपीलांट भादरराम द्वारा ग्राम मालेर तहसील सूरतगढ के ख.नं. 85 मी. के रकबा 50 बीघा को भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम) नियम 1957 के तहत आवंटन हेतु आवेदन करने पर आवंटन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ द्वारा दिनांक 23.07.71 को कैम्प

7/11/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

सूरतगढ में अपीलांट को ख.नं. 85 मी. में आवंटन किया जो आदेश की छाया प्रति अधी. न्यायालय की पत्रावली का पृष्ठ सं. 8 है जिसकी पुश्त पर (पृष्ठ भाग पर) विवादित भूमि ख.नं. 50 मी. का नक्शा अंकित है जिसे पश्चातवर्ती आदेश दिनांक 21.08.1984 द्वारा ख.नं. 85 के 25 बीघा का नवीनीकरण अपीलांट के नाम किया। शेष बीघा रकबा राज किया। इस अपील में विचारणीय बिन्दु यह है कि ख.नं. 85 मी. का 50 में से 25 बीघा भूमि का अपीलांट के नाम नवीनीकरण एवं बाद में उसका पुख्ता आवंटन हुआ। उसके बटा नं. क्या हो तो अधिशेष घोषित ख.नं. 85 मी. का 25 बीघा जो अपील सं. 114/2015 में रेस्पों. को आवंटित के बटा नं. क्या हो का विनिश्चय इस आधार पर किया जाता है कि विवादित ख.नं. 85 में दोनों ही अपीलांट एवं रेस्पों. को क्रमशः 25 बीघा एवं 30 बीघा को टी.सी.आवंटन रिकार्ड से साबित है जिसमें आवंटन आदेश अनुसार भादरराम को दिनांक 23.07.71 को आवंटन होना रिकार्ड से जाहिर है एवं मोटाराम के पिता चुनाराम को दिनांक 07.01.74 को टी.सी. आवंटन होना रिकार्ड से जाहिर होकर भादरराम पूर्ववर्ती आवंटी एवं मोटाराम के पिता चुनाराम पश्चातवर्ती आवंटी है। अतः नियमों का तकाजा है कि पूर्ववर्ती आवंटी के कथन को तव्वोजह दी जाए जिसमें अपील सं. 115/2015 में अपीलांट का कथन है कि ग्राम रोही मालेर के साबिक ख.नं. 85 मीन में उसे जो पुख्ता आवंटन हुए वह उसके कब्जे अनुसार ख.नं. 85/8 व 85/13 न होकर ख.नं. 85/7 है जो ख.नं. 85/8 व 85/3 में उसकी गलत खातेदारी दर्ज की गई है उसे ख.नं. 85/7 में दुरूस्त करने का अनुतरोध इस रूप में किया है कि इसी साबिक ख.नं. 85 मीन के पश्चातवर्ती आवंटी मोटाराम के पिता के नाम जो अपीलांट के कब्जा की भूमि आवंटित होकर दर्ज रेकार्ड है जो अपील सं. 114/2015 द्वारा उसका नाम विलोपित कर रेकार्ड एवं मौके के विभेद को खत्म करने का अनुतोष चाहा है।

पत्रावली का अवलोकन किया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अपीलांट भादरराम पूर्ववर्ती आवंटी होकर उसे आवंटित पुख्ता आवंटन के मीन नं. ,ख.नं. 85/7 में होना इस आधार पर मानने योग्य है कि ख.नं. 85

7/11/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

मीन के साबिक रकबे 50 बीघा पर अपीलांट का कब्जा होकर 25 बीघा उसे पुख्ता आवंटित हुई तथा जो हिस्सा आज उसके कब्जे में होकर ख.न. 85/7 होना जाहिर किया मानने योग्य है जबकि रेस्पो. पश्चातवर्ती आवंटी होकर जो जमीन अपीलांट ने छोड़ी वही आवंटन होगी तथा अपीलांट के कथननानुसार उसने जिस जमीन का कब्जा छोड़ा उसके ख.न. 85/8 व 85/13 है जो रेस्पों के नाम दर्ज योग्य हो अनुरोध स्वीकार्य एवं उचित होने से अपील इसी अनुरूप अपीलांट भादरराम की दोनों अपीलें स्वीकार की जाती है। चुंकि विवादित आराजी के सम्बन्ध में अपीलांट के पक्ष में निर्णय होने से इसी आराजी की अस्थाई निषेधाज्ञा पत्रावली सं. 57/2016 निर्णय दिनांक 15.02.2016 को इसी अनुरूप निरस्त किया जाता है तथा मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति के आदेश को भी निरस्त किया जाता है। जैसाकि अपील सं. 114/2015 व 115/2015 में मौके एवं रिकार्ड के विभेद को खत्म करने के आदेश दिये गये हैं। अतः अपील सं. 57/2016 खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 07.11.2017 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

7/11/17

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगगांनगर